



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-566
दिनांक 05.03.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना- तालकटोरा

01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

लखनऊ कमिश्नरेट में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक तालकटोरा के नेतृत्व में दिनांक 04.02.2025 को मा0 न्यायालय पीसी एक्ट-07 लखनऊ द्वारा जारी गिरफ्तारी अधिपत्र एसटी नं0-1002/2013 क्रानं0 63/2013 धारा 363/366/376 भा0दं0वि0 थाना तालकटोरा से सम्बन्धित वारण्टी अब्दुल रहीम पुत्र एनुल हक निवासी लोतीवाटी बौंगेगांव बख्स असम हाल पता- चोरघाटी कैम्पल रोड झोपड़पट्टी थाना सआदतगंज लखनऊ को बालू अड्डा से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अब्दुल रहीम पुत्र एनुल हक निवासी लोतीवाटी बौंगेगांव बख्स असम हाल पता- चोरघाटी कैम्पल रोड झोपड़पट्टी थाना सआदतगंज लखनऊ (व्यवसाय-कूड़ा इकट्ठा करने का काम)

03-NBW का विवरण-

01-एसटी नं0-1002/2013 क्रानं0 63/2013 धारा 363/366/376 भा0दं0वि0

04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री प्रवीन कुमार थाना तालकटोरा लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री संदीप जायसवाल थाना तालकटोरा लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं-564

दिनांक-05.03.2025

जोन-मध्य/ थाना-महानगर

- नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- पीडिता/अपहृता सकुशल बरामद।
- थाना महानगर पुलिस की कार्यवाही।

01.संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 03.03.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गयी कि वादिनी की नाबालिग पुत्री घर से बिना बताये कहीं चली गयी है जिसके आधार पर दिनांक 03.03.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 42/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दौराने विवेचना ज्ञात हुआ कि वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर शादी करने के लिये अभियुक्त करन तिवारी पुत्र रामानन्द तिवारी निवासी- छिछाई मधवापुर थाना सदना जनपद सीतापुर भगा ले गया है।

अभियुक्त करन तिवारी उपरोक्त को थाना महानगर पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा पीडिता/गुमशुदा को सकुशल बरामद किया गया तथा अभियोग में धारा 87 बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अपराध का तरीका-

दि0-03.03.2025 को वादिनी मुकदमा की नाबालिग पुत्री को अभियुक्त करन तिवारी शादी करने के लिये बहला फुसला कर भगा ले जाना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

01-करन तिवारी पुत्र रामानन्द तिवारी निवासी- छिछाई मधवापुर थाना सदना जनपद सीतापुर उम्र 19 वर्ष

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 दिलशाद चौधरी थाना महानगर लखनऊ
2. का0 संदीप कुमार थाना महानगर लखनऊ
3. म0का0 सरिता तिवारी थाना महानगर लखनऊ



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-562

दिनांक-05.03.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- युवती के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज, मारपीट करने व आपराधिक बल प्रयोग करने के आरोपी 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 05.03.2025 को थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा थाना विकास नगर लखनऊ द्वारा प्राप्त तहरीर जिसमें उनकी बहन के साथ विपक्षी द्वारा मारपीट, जाति सूचक शब्द बोलने, गाली गलौज करने एवं पीछे से जबरदस्ती पकड़ने के सम्बन्ध में तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 31/25 धारा 74/115(2)/352 बीएनएस व 3(1)(द)(ध) एवं 3(2) (Va) Sc/St एक्ट पंजीकृत कराया गया।

अभियोग मे अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक इटौंजा लखनऊ के निर्देशन मे थाना स्थानीय पर पुलिस टीम का गठन किया गया। थाना स्थानीय पुलिस बल द्वारा अभियोग उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण

01.सचिन पाण्डेय पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बडका गांव थाना पयागपुर जनपद बहराइच वर्तमान पता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हौर रोड चिनहट थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष

02. सौरभ यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव निवासी ग्राम उमरभारी थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष को ग्राम अर्जुनपुर के पास से आज दिनांक 05.03.2025 नियमानुसार गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जा रहा है।

02-अपराध का तरीका:-

अभियुक्तगण द्वारा वादी की बहन के साथ मारपीट करना, जाति सूचक शब्द बोलते हुये गाली गलौज करना व पीछे से जबरदस्ती पकड़ना

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. सचिन पाण्डेय पुत्र स्व0 कृष्ण कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम बडका गांव थाना पयागपुर जनपद बहराइच वर्तमान पता सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हौर रोड चिनहट थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष
2. सौरभ यादव पुत्र फूलचन्द्र यादव निवासी ग्राम उमरभारी थाना सैरपुर जनपद लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0- 567

दिनांक-05.03.2025

जोन- पूर्वी/ थाना- गोमतीनगर

■ नाबालिग/पीड़िता से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने वाले 02 आरोपी गिरफ्तार।

01-सक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 04.03.2025 को वादिनी के प्रा0पत्र बावत वादिनी के साथ प्रतिवादीगण द्वारा जबरदस्ती करने, मारपीट व जान से मारने की धमकी देना तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के विषयक दाखिल किया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-0079/2025 धारा 376-D/494/452/504/506/120B भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) SC/ST ACT थाना गोमतीनगर लखनऊ पंजीकृत किया गया।

दिनांक 05.03.2025 उ0नि0 प्रेम कुमार मय हमराहियान के मु0अ0सं0- 079/2025 धारा-376D/323/494/452/504/506/120B भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) SC/ST ACT थाना गोमतीनगर लखनऊ से संबंधित अभि0गण की तलाश पतारसी सुरागरसी हेतु क्षेत्र में मामूर थे कि तभी जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि उपरोक्त अभियोग से संबंधित वाछिंत अभि0गण इस समय अपने घर भौली थाना बीकेटी पर मौजूद है।

उक्त सूचना पर उपरोक्त पुलिस बल द्वारा ग्राम भौली थाना बीकेटी लखनऊ से अभियुक्त 01-श्रवण कुमार अवस्थी पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम नई सड़क हैदरगढ़ थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी हाल पता- ग्राम भौली थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष व 02. अरुण कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम नई सड़क हैदरगढ़ थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी, हाल पता- ग्राम भौली थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष घर पर मौजूद मिले।

अभियुक्तगण श्रवण कुमार अवस्थी व अरुण कुमार उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376डी/323/494/452/504/506/120बी भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) SC/ST ACT में कारण गिरफ्तारी बताते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.श्रवण कुमार अवस्थी पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम नई सड़क हैदरगढ़ थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी हाल पता - ग्राम भौली थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 34 वर्ष

02. अरुण कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी ग्राम नई सड़क हैदरगढ़ थाना असन्दरा जनपद बाराबंकी, हाल पता - ग्राम भौली थाना बीकेटी लखनऊ उम्र करीब 27 वर्ष

03-गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक-

ग्राम भौली थाना बीकेटी लखनऊ, दिनांक 05.03.2025

04-पंजीकृत अभियोग

01- मु0अ0सं0-0079/2025 धारा 376-D/494/452/504/506/120B भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट व 3(2)(5)
SC/ST ACT थाना गोमतीनगर लखनऊ

05- गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री राजेश कुमार त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक
- 2- उ0नि0 श्री प्रेम कुमार
- 3-उ0नि0 श्री कमलेश कुमार यादव
- 4- हे0का0 बब्बन यादव
- 5- म0का0 अमीषा सचान



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-568

दिनांक 05.03.2025

जोन-पश्चिमी/ थाना दुबग्गा

- सर्राफा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी कर ठगी करने वाला 01 शातिर ठग को जनता के सहयोग किया गया गिरफ्तार।

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 04.03.2025 को वादी मुकदमा श्री दीपक शुक्ला पुत्र स्व0 धर्म प्रकाश शुक्ला निवासी दुबग्गा कोतवाली दुबग्गा लखनऊ मय हमराहीयान मय 01 नफर अभियुक्त 1. राजेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी फरमाणा थाना करकोदा जनपद सोनीपत उम्र करीब 30 वर्ष के उपस्थित थाना आकर एक किता प्रार्थना पत्र बावत दिनांक 03.03.2025 को समय करीब 15.00 बजे अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त द्वारा वादी की दुकान से ब्रेसलेट लेकर 4000/- रुपये का फर्जी आनलाइन स्क्रीनशॉट दिखाकर ब्रेसलेट ले जाने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया।

जिसका दिनांक 04/05.03.2025 को देर रात्रि में वादी मुकदमा व अन्य लोगो के द्वारा अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त को पकड़ कर थाना उपस्थित लाया गया। दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 0097/2025 धारा 316(2)/318(4) BNS, पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त राजेश कुमार उपरोक्त को सुपुर्दगी में लेकर पुनः गिरफ्तार करते हुए फर्द गिरफ्तारी तैयार की गयी तथा अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-राजेश कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी फरमाणा थाना करकोदा जनपद सोनीपत उम्र करीब 30 वर्ष

03- पंजीकृत अभियोग:

01-मु0अ0सं0 0097/2025 धारा 316(2)/318(4) भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023

नोट: अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

04-कार्यवाही करने वाली टीम:—

1. उ0नि0 जय बहादुर राय कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
2. आरक्षी युवराज शुक्ला



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-565

दिनांक-05/03/2025

जोन-दक्षिणी/थाना-बिजनौर लखनऊ

- घर में घुसकर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/नकबजन को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी की गयी एक अदद एलईडी टी0वी0 बरामद।
- थाना बिजनौर पुलिस की कार्यवाही।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 26.02.2025 को थाना क्षेत्र बिजनौर के स्पर्श पैराडाइज रहीमाबाद में वादी श्री विवेक जोशी पुत्र श्री नारायण दत्त जोशी नि0 41/212 मुन्नी लाल बिल्डिंग नरही थाना हजरतगंज जनपद लखनऊ के घर का अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर घर से दस हजार रुपये, दो सोने की अंगूठी, दो चांदी की अंगूठी, 43 इंच एलजी का टीवी व अन्य घरेलू सामान चोरी की गयी थी जिस पर वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 59/2024 धारा 305(a) /317(2) बी.एन.एस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था।

जिसमें थाना बिजनौर की पुलिस द्वारा माल मुल्जिमान की तलाश पतारसी जारी थी कि आज दिनांक 05.03.2025 को बिजनौर ईदगाह के पास से दो चोर सुहैल अहमद पुत्र नफीस नि0 कटरा मोहल्ला कस्बा व थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष तथा कृष्णारावत पुत्र धर्मेन्द्र रावत निवासी जे0बी0 स्कूल बिजनौर के पास कस्बा व थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त में चोरी गये एल जी टीवी बरामद किया गया तथा शेष चोरी का सामान इनके साथी अमरेन्द्र रावत पुत्र रामशंकर रावत निवासी कमलापुर थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र 18 वर्ष व जैद पुत्र आफताब निवासी पटवारी मोहल्ला कस्बा व थाना बिजनौर उम्र 20 वर्ष के पास होना बता रहे हैं जिनकी तलाश जारी है।

बरामद माल की शिनाख्त वादी मुकदमा द्वारा अपने चोरी गये टीवी होने के सम्बन्ध में की गयी। अभियुक्त सुहैल व कृष्णा रावत को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

फरार अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. सुहैल अहमद पुत्र नफीस नि0 कटरा मोहल्ला कस्बा व थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष
2. कृष्णा रावत पुत्र धर्मेन्द्र रावत निवासी जे0बी0 स्कूल बिजनौर के पास कस्बा व थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 18 वर्ष

फरार/वाँछित अभियुक्त-

1. अमरेन्द्र रावत पुत्र रामशंकर रावत निवासी कमलापुर थाना बिजनौर जनपद लखनऊ उम्र 18 वर्ष
2. जैद पुत्र आफताब निवासी पटवारी मोहल्ला कस्बा व थाना बिजनौर उम्र 20 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

सुहैल अहमद पुत्र नफीस नि० कटरा मोहल्ला कस्बा व थाना बिजनौर लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

- 1- मु०अ०सं० 31/24 धारा 323, 504, 506 भादवि, थाना बिजनौर लखनऊ
- 2- मु०अ०सं० 147/24 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना बिजनौर लखनऊ

अपराध की तरीका -

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा घर का ताला तोड़कर चोरी करना ।

बरामदगी-

1. एक अदद एलईडी टीवी एन्ड्राइड एलजी कम्पनी नं०-108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart LED TV 43 UR7500PSC (Dark Iron Gray)

अनावरित अभियोग-

- 1-मु०अ०सं० 59/25 धारा 305(a)/317(2)बी.एन.एस. थाना बिजनौर लखनऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना बिजनौर पुलिस टीम लखनऊ ।

